आदेश पत्रक

न्यायालय : नायब तहसीलदार,बिजनौर
मण्डल :लखनऊ,जनपद :लखनऊ,तहसील :सरोजनीनगर
वाद संख्या :-14869/2024
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202410460514869
असल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रा0 बनाम सूरजदीन
अंतर्गत धारा:- 34, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

5878

वाद सं0—3068
ग्राम—निजामपुर मझिगवां

प्रस्तुत वाद लेखपाल हस्तान्तरण रिर्पोट के प्रार्थना पत्र पर प्रारम्भ किया गया उसमे विक्रय पत्र दिनांक 15.02.2020 आधार पर प्रस्तुत हुयी। वाद को दर्ज मिसिलबंद कर नियमानुसार इश्तहार जारी किया गया, जो तामिल शामिल, पत्रावली है। मृतक सूरजदीन पुत्र सुकरू के दर्ज वारिसानो को पंजीकृत नोटिस भेजी गयी। वारिसानो द्वारा न तो न्यायालय में उपस्थित आये और न कोई आपत्ति नहीं प्राप्त हुई है। दौरान मुकदमा कोई आपत्ति दाखिल नहीं हुयी। वादी ने अपने कथन की पुष्टि में अभिलेखीय/मौखिक साक्ष्य में पंजीकृत विक्रय पत्र, इन्तखाब खतौनी व साढ़े बारह एकड़ से अधिक भूमि न होने के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया है एवं क्षेत्रीय लेखपाल के बयान अंकित कराये। लिखित साक्ष्य में क्षेत्रीय लेखपाल का बयान संलग्न पत्रावली है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि भूमि का सम्बन्ध सीलिंग, भूदान, ग्राम समाज की नही है। विक्रेता अनुसूचित जाति का सदस्य है तथा विक्रेता को क्रेता के पक्ष में वाद संख्या—डी—202010460000496 दिनांक 03.02.2020 को अपर जिलाधिकारी (ट्रांस गोमती) लखनऊ से अनुमति प्राप्त है। तथा पत्रावली में विक्रय अनुमति पत्र संलग्न है। प्रश्नगत विक्रय विलेख उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 88, 89, 90, 97, 98, 99 के प्राविधानों के प्रतिकूल नहीं है। दिनांक 12.06.2020 को आपत्तिकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपनी विस्तृत आपत्ति दाखिल करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसे स्वीकार करते हुए उन्हे पर्याप्त अवसर दिया गया किन्तु किसी भी पक्षकारो द्वारा न्यायालय समक्ष उपस्थित न होने के कारण वाद साक्ष्य के अभाव में दिनांक 12.10.2020 को निरस्त कर दिया गया। जिसके पश्चात वादी द्वारा पुर्नस्थापना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया उक्त प्रस्तुत प्रार्थना के आधार पर आपत्तिकता को वाद के सम्बन्ध में नोटिस प्रेषित की गयी। किन्तु आपत्तिकर्ता द्वारा न तो न्यायालय समक्ष किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति प्रस्तुत की गयी और न ही न्यायालय समक्ष उपस्थित आये। ऐसे में वादी के पक्ष में नामातंरण आदेश पारित करने में कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती है। अतः निम्नवत आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम—निजामपुर मझिगवां परगना बिजनौर तहसील सरोजनी नगर, जिला लखनऊ की खतौनी 1425 से 1430 फसली के खाता संख्या 00275 गाटा संख्या 143 रकबा 0.6120 हे0, सम्पूर्ण अंश मा0 गु0 60ख से विक्रेता सूरजदीन पुत्र सुकरू के दर्ज वारिसान चन्द्रावती पत्नी स्व0 सूरजदीन व विट्टी देवी पुत्री स्व0 सूरजदीन व राजेश कुमार पुत्र स्व0 सूरजदीन निवासी—मिर्जापुर भिटारी, जिला—फतेहपुर का नाम पृथक करके क्रेता अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फास्ट्रक्चर लि0 कार्यालय पता—115 अंसल भवन, 16 के, जी मार्ग, न्यू दिल्ली शाखा—कार्यालय पता—द्वितीय तल, शापिंग स्क्वायर—2, सेक्टर—डी, सुशान्त गोल्फ सिटी सुल्तानपुर रोड, लखनऊ द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी नीरज झा पुत्र श्रीराम झा निवासी—जगन्नाथपुरी कालोनी, जियामऊ, राधा कृष्ण मन्दिर, लखनऊ का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 15.02.2020 अंकित किया जाये। वाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक : 25/06/2024

Avinash Kumar Rawat
नायब तहसीलदार बिजनौर
सरोजनीनगर लखनऊ

(662B.BIJ.Apr24.

Scanned with OKEN Scanner